

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश संख्या.....241...../2026

सं०सं०-अ०नि० (02) 62/2026/नि०सं०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1409(24) दिनांक 08.07.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में सुश्री कृपी श्रीया, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने के कारण दिनांक 02.05.2026 से 11.05.2026 तक कुल 10 (दस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 62/2026/नि०सं०.....2164.....

दिनांक.....11/08/26.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/ मुख्य अभियोजक, जहानाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ सुश्री कृपी श्रीया, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक अ०नि० (02) 62/2026/नि०सं०.....2164.....

दिनांक.....11/08/26.....

प्रतिलिपि:- ✓ प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/8/26
उप सचिव।

Jyahan